राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग

क्रमांकः प0 13(51)का./क–1/गो.प्र./2020 जयपुर, दिनांकः 18 MAR 2020

:: परिपत्र ::

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) ऑन–लाइन पूर्ति करने बाबत पूर्व में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प0 13(51)का./क–1/गो.प्र./2016 दिनांक 16 मई, 2019 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार प्रतिवेदनों की पूर्ति की जा रही थी । इसी क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने AIS (PAR) Rules, 2007 में संशोधन करते हुए पत्र क्रमांक 11059/01/2018 – AIS – 111 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 (वेब साईट पर उपलब्ध) जारी किया है जिसके द्वारा प्रतिवेदित, प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारियों के लिये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने/टिप्पणी अंकित करने हेतु समय–सीमा (Cut-off date) निर्धारित की गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

Activity	Cut-off date	
	DUE DATE	AUTO FORWARD
Self appraisal for current year	31st May	1st June
Appraisal by Reporting Authority	31st July	1st August
Appraisal by Reviewing Authority	30th Sept.	1st October
Appraisal by Accepting Authority	31st December	Auto closure on 31st December

यह भी ध्यान में लाया जाना आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा (कार्य निष्पादन प्रतिवेदन) नियम 2007 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत यदि अधिकारी उसके प्रतिवेदन में अंकित टिप्पणी/ग्रेड पोइन्ट से सन्तुष्ट नहीं है और उसके विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो वह संशोधित नियम के नियम 9(2) के अनुसार अपना अभ्यावेदन कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के Sparrow Account में on-line प्राप्त होने पर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को 15 दिन के भीतर on-line कर सकता है । **"उक्त नियम के अनुसार 15 दिवस की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार/विचारयोग्य नहीं माने जायेंगे ।"**

अतः उपरोक्तानुसार अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं के स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2019–20 के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति उनके स्तर पर उक्त समय–सीमा (Cut-off date) के भीतर आवश्यक रूप से हो जावे ।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (क–1) विभाग को वेब साईट पर up-load करने हेतु।

18/3/2020

(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव